भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 10

07 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

पीडीएस के अंतर्गत राज्यों को जारी खाद्यान्नों की मात्रा

***10 श्री रमेश चन्द्र माझी:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राज्यों को जारी किए गए खाद्यान्न की कुल मात्रा विशेषकर ओडिशा सहित राज्य-वार कितनी है;

(ख) पीडीएस के तहत वास्तव में वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य के पास बचे खाद्यान्न की राज्य-वार मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसका उपयोग राज्य-वार किस प्रकार किया गया है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ड) क्या देश में पीडीएस के समुचित कार्यान्वयन के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 10 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क): पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष, 2022-23 (अक्तूबर, 2022 तक) के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत ओडिशा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 1728 लाख टन खाद्यान्न की कुल मात्रा जारी की गई थी। ब्यौरा **अनुबंध-I (क)** में दिया गया है।

(ख): उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उक्त अवधि के दौरान टीपीडीएस के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 1750 लाख टन खाद्यान्न की कुल मात्रा वितरित की गई थी।

(ग): ब्यौरा **अनुबंध-I (ख)** में दिया गया है।

(घ): टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों का उठान और वितरण एक सतत प्रक्रिया है। जरूरत/पात्रता के अनुसार, टीपीडीएस के तहत वितरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (केन्द्रीय पूल से) खाद्यान्नों का उठान करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार भविष्य के वितरण चक्र के लिए अग्रिम रूप में (आपूर्ति श्रृंखला आवश्यकताओं के आधार पर उच्च मात्रा) खाद्यान्न का उठान करने की अनुमति भी होती है।

(ङ): केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की संयुक्त जवाबदेही के तहत टीपीडीएस का प्रचालन किया जाता है। केन्द्र सरकार केवल खरीद, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अनुसार आवंटन तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक ऐसे खाद्यान्नों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने, शिकायतों का निपटान करने तथा उचित दर दुकानों (एफपीएस) आदि के कार्यों का पयर्वेक्षण और निगरानी करने संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास होती है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी सुधारों के एक भाग के रूप में, पीडीएस का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण करने संबंधी स्कीम समूचे देश में कार्यान्वित की गई है, ताकि आधार-बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए देश में एनएफएसए लाभार्थियों का पारदर्शी और सही तरह से लक्षित करना सुनिश्चित किया जा सके। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना प्रवासी लाभार्थियों को मौजूदा (पुराना) राशन कार्ड से सुप्रवाही रूप में समूचे देश में एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई राशन लाभों की पोर्टेबिलिटी प्रदान करती है।

******

अनुबंध-I(क)

लोक सभा में दिनांक 07 दिसम्बंर, 2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

टीपीडीएस/एनएफएसए के तहत 2019-20 से 2022-23 (अक्तूबर, 2022 तक) तक खाद्यान्न (गेहूं और चावल) का उठान और वितरण

अनंतिम

टन में

क्र.सं.		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23(अक्तूबर, 2022 तक)	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**उठान**	**वितरण**	**उठान**	**वितरण**	**उठान**	**वितरण**	**उठान**	**वितरण**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1687	2934	2489	1813	4090	3844	2361	2429
2	आंध्र प्रदेश	1849848	1760954	2005887	1724092	1750856	1722006	1079749	1008296
3	अरुणाचल प्रदेश	57772	67015	55465	54634	52473	71717	35004	33072
4	असम	1632792	1692429	1484489	1653890	1549194	1490390	1015466	931044
5	बिहार	5403948	5559992	5183855	5045663	4890761	5208477	3058723	3062969
6	छत्तीसगढ	1374945	1374816	1375292	1373477	1376739	1369439	807380	780680
7	दादरा एवं नगर हवेली	11017	9944	14573	14594	14422	14707	8411	8790
8	दमन दीव	4287	4254	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	436490	411163	449472	400203	402235	443860	269747	257267
10	गोवा	34398	33306	32461	33983	33008	34039	20783	18020
11	गुजरात	1924613	1915400	2011139	2053472	2014515	2087143	1240908	1231757
12	हरियाणा	594993	672166	619657	714480	640430	715122	423787	446162
13	हिमाचल प्रदेश	204300	191644	202290	183330	200852	185252	118439	109445
14	जम्मू और कश्मीर	487839	425902	450948	418194	406126	400496	231567	237383
15	झारखंड	1678827	1614337	1760584	1610410	1501655	1653756	1047762	977762
16	कर्नाटक	2630854	2082648	2370320	2510747	1839458	2461594	1120962	1445761
17	केरल	927971	985909	996310	1008332	981656	985089	605975	570658
18	लद्दाख	0	0	55628	2234	7873	5321	6971	4347
19	लक्षद्वीप	1429	318	1016	595	1390	185	925	315
20	मध्य प्रदेश	3394007	3035492	3184182	3021648	3064797	3044049	1597861	1810551
21	महाराष्ट्र	4029097	3951083	3988186	4114605	3515638	4092942	1780008	2218927
22	मणिपुर	155855	89061	158866	165819	121623	128324	78502	83242
23	मेघालय	140624	135366	139155	133712	137734	142739	83847	79806
24	मिजोरम	47517	37766	44841	45508	45100	44680	24579	26592
25	नगालैंड	89774	89328	91689	79755	88528	66132	49110	39485
26	ओडिशा	2047239	2113791	2078529	2160641	1991198	2115773	1552022	1231373
27	पंजाब	615082	780130	465276	845262	879690	859436	434898	435060
28	राजस्थान	2843387	2568516	2752219	2702496	2543827	2587805	1488062	1499102
29	सिक्किम	26248	28143	25270	25559	24210	26020	15552	15358
30	तमिलनाडु	2669677	2376757	2404391	2402172	2005951	2295047	1343596	1361004
31	तेलंगाना	1342013	1186038	1240754	1221316	1269421	1198924	756030	700565
32	त्रिपुरा	157758	156972	149097	158748	118005	161664	76363	93727
33	उत्तर प्रदेश	8959590	8845034	9003628	9301128	8529734	9353959	4593695	4692832
34	उत्तराखंड	402937	415591	362921	371163	469655	397138	232751	218437
35	पश्चिम बंगाल	3919510	3938481	3940655	3908901	3817032	3824566	2125787	2183405
	सकल योग	**50098328**	**48552681**	**49101531**	**49462578**	**46289873**	**49191631**	**27327583**	**27815622**

उठान स्रोत: भारतीय खाद्य निगम

वितरण स्रोत: राज्यों द्वारा बताए गए अन्नवितरण पोर्टल से लिया गया है।

अनुबंध-I(ख)

लोक सभा में दिनांक 07 दिसम्बंर, 2022 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 10 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2019-20 से 2022-23 तक (अक्तूबर, 2022 तक) टीपीडीएस/एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का समेकित उठान और वितरण

अनंतिम   टन में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उठान	वितरण	अंतर *
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10627	11020	-393
2	आंध्र प्रदेश	6686340	6215348	470992
3	अरुणाचल प्रदेश	200714	226438	-25724
4	असम	5681941	5767753	-85812
5	बिहार	18537287	18877101	-339814
6	छत्तीसगढ	4934356	4898412	35944
7	दादरा एवं नागर हवेली,	48423	48035	388
8	दमन और दीव	4287	4254	33
9	दिल्ली	1557944	1512493	45451
10	गोवा	120650	119348	1301
11	गुजरात	7191176	7287773	-96598
12	हरियाणा	2278867	2547930	-269063
13	हिमाचल प्रदेश	725881	669670	56211
14	जम्मू और कश्मीर	1576480	1481976	94505
15	झारखंड	5988828	5856265	132563
16	कर्नाटक	7961594	8500749	-539155
17	केरल	3511912	3549988	-38076
18	लद्दाख	70473	11902	58571
19	लक्षद्वीप	4759	1413	3346
20	मध्य प्रदेश	11240847	10911740	329107
21	महाराष्ट्र	13312929	14377556	-1064627
22	मणिपुर	514846	466446	48400
23	मेघालय	501359	491624	9735
24	मिजोरम	162037	154546	7491
25	नगालैंड	319102	274699	44403
26	ओडिशा	7668988	7621578	47410
27	पंजाब	2394946	2919889	-524943
28	राजस्थान	9627495	9357920	269575
29	सिक्किम	91280	95080	-3799
30	तमिलनाडु	8423615	8434981	-11366
31	तेलंगाना	4608218	4306843	301375
32	त्रिपुरा	501223	571111	-69888
33	उत्तर प्रदेश	31086646	32192953	-1106307
34	उत्तराखंड	1468264	1402329	65935
35	पश्चिम बंगाल	13802984	13855352	-52368
	कुल	172817315	175022512	-2205197

* 43 महीनों (अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2022) के उठान और वितरण के बीच का कुल अंतर

उठान स्रोत: एफसीआई

वितरण स्रोत: राज्यों द्वारा बताए गए अन्नवितरण पोर्टल से लिया गया है।